

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, झुंजरपुर

मिसल नं० 459
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 04-06-2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री लक्ष्मण पिता स्वात्मर

जति श्री उम्र ५६ नि० झुंजरपुर तहसील झुंजरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक
अदालत झुंजरपुर दिनांक 04-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
111, 128 से०से०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा झुंजरपुर पंचायत समिति झुंजरपुर
में स्थित खाता संख्या 24 पर आराजी नं० 479 कुल — बीघा
4 बिस्वा किता 1 योग रकबा 4 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काविज होकर कृषि
कास्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद
होता है। करते है और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पूर
पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के
साथ अप्रार्थी कोटा पिता स्वामर नि० झुंजरपुर ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है।
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम झुंजरपुर के खसरा नं० 478 रकबा —
बीघा 10 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 10 बिस्वा की जमाबंदी सम्बत् 2011-14
की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी
प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार कास्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का
कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा झुंजरपुर में स्थित
खाता संख्या 24 पर आराजी नं० 479 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 1
कुल रकबा 4 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा झुंजरपुर में स्थित खाता संख्या 24 पर आराजी नं० 479
रकबा 4 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 4 बिस्वा का विवाद प्रस्त
की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, झुंजरपुर भू०अ० निरीक्षक
के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को बिस्टर्ड किये पत्थर गडी
की जावे। तहसीलदार, झुंजरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रु० 500/- प्रार्थी स्वयं
राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैंसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

झुंजरपुर

[Crl-2018/00502]